न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई जिला भरतपुर (राज.)
(पीठासीन अधिकारी) श्री विनोद कुमार मीना RAS)

प्रकरण सं. 170/2018

विषय- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा 212 RTA

निर्णय दिनांक- 27/2/2020

(1) मुकेश पुत्र बाबूसिंह जाति- जाट- निवासी खूटैली
तह. वैर जिला भरतपुर (राज.)

– सायल/प्रार्थी

बनाम-

(1) मनोहरी पि. गोरधन जाति- जाट- निवासी
(2) डूंगरसिंह खूटैली तह० वैर जिला भरतपुर
(3) केशन्ती पुत्री गोरधन.
(4) राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
(5) सब रजि.स्ट्रार नदबई

गैरसायल/अप्रार्थी

निर्णय. प्रार्थना पत्र- अन्तर्गत धारा 212 RTA.

—x—x—x—.

(1) यह है कि उपरोक्त उनवानी मुकदमा न्यायालय श्रीमान मे पेश किया जा चुका है. जिसमे सफलता की पूरी उम्मीद है

(2) यह है कि- हाल जमाबंदी संवत-2074 के खाता सं. 478 का आराजी खा.न. 1646 रकबा 0.09 है जो पूर्व बंदोबस्त विभाग- संवत 2060 के आराजी खा.न. 1315 से बनाया गया है एवं पूर्व बन्दोबस्त

सम्वत 2028 के मिलान औकजल के ख.न. 622 से बनाया गया है. जो
उक्त आराजी वाके उटारदा तह. नदबई मे स्थित है।

3) यह है कि सायल एवं गैर सायलान का सजरा पैदा है.

4) यह है कि- विवादित आराजी सायल एवं गैरसायलान की पैतृक आराजी है
जो जमाबंदी सेवत 2013 लगायत 2016 मे शामलात दर्ज है परन्तु गैरसायल
ने भू प्रबंध विभाग सेवत 2028 के कर्मचारियों से साज कर अपने नाम-
करा ली है. जो कानून गलत है जिसे वादी/सायल, गैरसायलानो के नाम
हो रहे इन्द्राजातो को खारिज करा पाने का अधिकारी है.

(5) यह है कि- वि.आ. सेवत- 2010 से 2026 तक शामलात रिकार्ड मे दर्ज है.
परन्तु गैरसायलान ने योग शामलात भूमि को गलत तरीके से अपने नाम
करा लिया है. जिसमे आजमी मौके पर शामलात एक कुआ है जिसे
गैरसायलान उक्त विवादित- आराजी को रहनवय उतकाल करने पर
आमादा है.

(6) यह है कि- वि.आ. बाबा जोतदी से प्राप्त हुई है जो आजमी गैरसायलानो
ने सायल को कोई
का मौके पर कोई कब्जा नहीं है. गैरसायलानो ने सायल को धमकी दी उक्त आराजी हमारे नाम
10.11.18 को वाके ग्राम उटारदा मे यह धमकी दी उक्त आराजी हमारे नाम
है. इसे तो हम किसी गैर व्यक्तियो को रहन वय उतकाल करके रहेगे और
तुम्हेर मौके से बेदखल कर देगे। अगर गैरसायलान उक्त धमकी मे काम-
याब हो गये तो सायल को अपूरणीय क्षति होगी अतः सायल गैरसायलानो को
अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थना है कि- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA स्वीकार
किया जाकर गैरसायलानों को ता फैसला स्थगन आदेश से पाबन्द किया
जावे कि- आराजी को किसी गैर व्यक्ति को रहनवय उतकाल न करे
और नाही बेदखल करे रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे.
हेतु पाबन्द किया जावे।

Scanned by CamScanner

सायल/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से श्री रामकिशन प्रमिया सय उप. शेष अप्रार्थी सं. 3 लगायत 5 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब प्रा.पत्र पेश किया गया तथा अपने जवाब प्रा.पत्र में वर्णित किया कि:-

(1) यह कि- पैरा सं. 2 में वर्णित आराजी 1646 अप्रार्थी की स्व. अर्जित सम्पत्ति है ना कि- पैतृक सम्पत्ति 1646 का खातेदारी खसरा नम्बर 1315 जो बनाम सं. 2028 में शिवायचन्द पुत्र जो प्रतिवादी के पिता गोरधन के नाम गैर खातेदार इन्द्राजात हुआ।

(2) यह कि- प्रार्थी द्वारा पेश नक्शा से उक्त आराजी का कोई संबंध सरोकार नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा सभी पक्षकारान को नहीं बनाया गया है।

(3) यह कि- आराजी पैतृक सम्पत्ति नहीं है बल्कि उक्त आराजी प्रतिवादीगण को अपने पिता स्वर्गीय गोरधन से विरासत में प्राप्त हुई है और अप्रार्थीगण के पिता गोरधन को शिवायचन्द से कब्जे काश्त के आधार पर आयी है जो स्व अर्जित है तथा शेष कथन मनगढ़त है तथा स्वीकार्य बिना खारिज है

(4) यह कि- इसी आराजी पर एक मुकदमा प्रार्थी वादी ने मुकेश व मनोहरी बाई, दावा 130/13 अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 रा.का. खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किया है। जिसमें प्रार्थी/वादी ने कथन किया कि- उक्त आराजी को प्रतिवादी के पिता बाबू ने अप्रार्थीगण के पिता गोरधन से जरिये रजि. वसीयतनामा करा लिया है जो पेश नहीं किया है, उक्त आराजी को स्वयं प्रार्थी वादी ने अप्रार्थीगण के स्वर्गीय पिता गोरधन को गैर खातेदार मानकर वसीयतनामा नहीं होना बताया है। बल्कि- यह कथन सत्य है, इसलिए कोई वसीयतनामा अप्रार्थी के पिता गोरधन ने प्रार्थी के पिता बाबूलाल को वसीयतनामा नहीं करवाया।

प्रार्थी/सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में दस्तावेजों के रूप में नकल फोटो प्रति- जमाबंदी संवत- 2074 वाके उदरदा. पेश की गई।

अप्रार्थी द्वारा दस्तावेजात के रूप में नकल प्रा.पत्र- मुकेश व मनोहरी प्रा. पत्र मय- आर्डरशीट मु.नं. 130/13- न्यायालय [illegible] नकल पेश की गयी

[signature]

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA पर उभय पक्षकारान् के विद्वान वकीलों द्वारा की गयी तथा प्रार्थना में वर्णित तथ्य एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया।

हमने दोनों विद्वान वकीलों की बहस प्रार्थना पत्र 212 RTA सुनी गयी बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि:-

(1) प्राइमा फेसी केस- प्रार्थी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 RTA के तहत घोषणात्मक का पेश किया है तथा विवादित आराजीयात वाकै ग्राम- उटरदा को शामिल [illegible] की प्रतिवादिक आराजीयात को बतौर पेश किया है। विवादित आराजी खसरा नं. 1646 रकबा 0.09 है. प्रार्थी द्वारा पूर्व जमाबंदी संवत 2010-2026 तक अपने पूर्वजों के नाम इन्द्राजात होने के आधार पर हक चाहा है. प्रार्थी का अपने प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 में कहना है कि अप्रार्थी द्वारा संवत 2028 में गलत तरीके से विवादित आराजी अपने नाम करवाली। प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी का इन्द्राजात संवत 2060 व 2028 में शामिल खा.नं. [illegible] 1315 व 822 बताया है. परन्तु प्रार्थी साथ द्वारा विवादित आराजी की ग्राम- उटरदा की केवल नकल जमाबंदी संवत 2074-2077 पेश की है - विवादित आराजी के इन्द्राजात पूर्व के शामिल खा.नं. बाबत कोई भी जमाबंदी मिलान क्षेत्रफल व पूर्व के इन्द्राजात सिद्ध करने बाबत कोई भी जमाबंदी पेश नहीं की है जिससे साबित होता हो की - उक्त विवादित आराजी प्रतिवादिक है. अतः प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी केस प्रार्थी के पक्ष में नहीं है

(2) सुविधा का सन्तुलन:- प्राइमा फेसी केस प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है

(3) अपूर्णीय क्षति:- चूंकि प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से अस्थायी निषेधाज्ञा को खारिज की- अस्थायी निषेधाज्ञा को पारित किया जाता है तो अस्थायी निषेधाज्ञा को [illegible] अधिकारों का हनन होगा तो अप्रार्थी पक्ष की अस्थायी निषेधाज्ञा को [illegible]

[signature]

Scanned by CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

अतः आदेश है कि विवादित आराजी ख.न. 1646 रकबा 0.09 वाके ग्राम - उधरदा पर जारी किया गया स्थगन आदेश 16.11.18 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(विनोद कुमार मीना)
सहायक कलक्टर नदबई
जिला - भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner